# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

अपील संख्याः–03/2019

निर्णय दिनांकः– 12.09.2019

उनवान

1. तुलसा पुत्री राधाकिशन जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. शांति पुत्री राधाकिशन जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. सीता पुत्री राधाकिशन जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–अपीलार्थी

बनाम

1. बद्री पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 1444 दिनांक 10.04.2013**
**जिसके द्वारा नामांतकरण स्वीकृत किया।**

उपस्थितः–श्री रामावतार शर्मा वकील अपीलार्थी

## निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 342/3/2, 344/3, 358, 395/1, 411/1, 578/1, 638/1, 1063/2, 1066/1, 1070, 1101/1, 1177, 1380/2, 1414/1, 1662/1 कुल किता 15 कुल रकबा 21–17 बीघा वाके ग्राम पहाडी तहसील निवाई में स्थित है जिसमें अपीलान्ट्स का 3/5 हक व हिस्सा निहित था जिसमें से अपीलान्ट ने अपने 3/5 हक व हिस्से का आधा हिस्सा अर्थात कुल 3/10 हक व हिस्से की भूमि का हकत्याग रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में दिनांक 15.1.2010 को पृष्ठ सं. 1 जिल्द सं. 269 पृष्ठ संख्या 68 के द्वारा किया गया था जिसका नामांतकरण सं. 1375 दिनांक 26.11. 2010 को ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया था इसके पश्चात् अपीलान्ट्स का 3/10 हक व हिस्सा निहित रहा था। उक्त नामांतकरण बिना किसी वैध हक व अधिकार के रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में खोल दिया जो विधि के विपरीत है। उक्त नामांतकरण एक ही हकत्याग पत्र के आधार पर पूर्व में खोले जो चुके नामांतकरण के पश्चात् पुनः नामांतकरण खोला गया है जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य नामांतकरण की परिभाषा में आता है। अतः हस्तगत अपील-मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट न्यायहित में उक्तानुसार स्वीकार फरमायी जाकर उक्त नामांतकरण संख्या 1444 निर्णय दिनांक 10.4.2013 को निरस्त किया जाकर उक्त नामांतकरण के आधार पर अपीलान्टस के शेष रहे 3/10 हक व हिस्से का किया गया अमल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई। रेस्पोडेन्ट्स बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुये एकतरफा बहस में बताया कि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख.नं. 342/3/2, 344/3, 358, 395/1, 411/1, 578/1, 638/1, 1063/2, 1066/1, 1070, 1101/1, 1177, 1380/2, 1414/1, 1662/1 कुल किता 15 कुल रकबा 21-17 बीघा वाके ग्राम पहाडी तहसील निवाई में स्थित है जिसमें अपीलान्ट्स का 3/5 हक व हिस्सा निहित था जिसमें से अपीलान्ट ने अपने 3/5 हक व हिस्से का आधा हिस्सा अर्थात कुल 3/10 हक व हिस्से की भूमि का हकत्याग रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में दिनांक 15.1.2010 को पृष्ठ सं. 1 जिल्द सं. 269 पृष्ठ संख्या 68 के द्वारा किया गया था जिसका नामांतकरण सं. 1375 दिनांक 26.11.2010 को ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में खोला जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया था इसके पश्चात् अपीलान्ट्स का 3/10 हक व हिस्सा निहित रहा था। उक्त नामांतकरण बिना किसी वैध हक व अधिकार के रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में खोल दिया जो विधि के विपरीत है। उक्त नामांतकरण एक ही हकत्याग पत्र के आधार पर पूर्व में खोले जो चुके नामांतकरण के पश्चात् पुनः नामांतकरण खोला गया है जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य नामांतकरण की परिभाषा में आता है। अतः अपील अपीलान्ट न्यायहित में उक्तानुसार स्वीकार फरमायी जाकर उक्त नामांतकरण संख्या 1444 निर्णय दिनांक 10.4.2013 को निरस्त किया जाकर उक्त नामांतकरण के आधार पर अपीलान्टस के शेष रहे 3/10 हक व हिस्से का किया गया अमल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से हटाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 342/3/2, 344/3, 358, 395/1, 411/1, 578/1, 638/1, 1063/2, 1066/1, 1070, 1101/1, 1177, 1380/2, 1414/1, 1662/1 कुल किता 15 कुल रकबा 21-17 बीघा वाके ग्राम पहाडी तहसील निवाई में अपीलान्ट्स द्वारा अपने हिस्से 3/5 के 1/2 हिस्से का हकत्याग किया था। परन्तु नामांतकरण सं. 1444 द्वारा अपीलान्ट्स के सम्पूर्ण हिस्से का रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया है। जिसे सही किया जाना न्यायहित में उचित है। उक्त हकत्याग में वर्णित हिस्से के अनुसार नामान्तकरण सं. 1375 दिनांक 26.11.2010 पूर्व में ही भरा जाकर दर्ज इन्द्राज किया जा चुका है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। नामांतकरण संख्या 1444 निर्णय दिनांक 10.4.2013 ग्राम पहाडी तहसील निवाई को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.09.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक (राज.)

12/9/19

जे.पी. बैरवा

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner